

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 79/2019

1- ओम प्रकाश पुत्र खीवंराज जाति जांगिड़ निवासी गौरव पथ, लाडनूं तहसील
लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्त

बनाम

1- राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर
राज0।

2- तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1-श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।

अपील विरुद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 25/2017 बअनुवान राज्य
सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम ओम प्रकाश निर्णय दिनांक
17.07.2019 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।


अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:07.12.21

{1} -यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 25/2017 बअनुवान पटवारी हल्का
लाडनूं बनाम ओम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2019 के विरुद्ध पेश की
है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने
अपीलान्त/अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर
निवेदन किया कि अपीलान्त/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



रकबा 14-18 बीघा भूमि किस्म गैर मु0 खड्डा में से रकबा 00.02 बीघा भूमि पर संवत् 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.02 बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्त/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा 00.02 बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 3/- अक्षरे तीन रूपये कायम किया गया।

{3} -अपीलान्त ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :-

{3}(1)-यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) -यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.7.2019 को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थीया के पति द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट सेंटलमेंट विभाग से सही माप चोप सहित रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया के बावजूद भी बिना अपीलार्थी का पक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से



ke
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.07.2019 निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलार्थी के उक्त प्रकरणमें नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि आबादी भूमि होकर जरिये प्रतिज्ञा पत्र के खरीदसूदा भूमि होकर पूर्व में रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व व कब्जा आधिपत्य सूदा है जो उपरोक्त दस्तावेजों व मौका की पुनः जांच का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर फरमाये ही उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कब्जा आधिपत्य सुदा बंटसूदा भूमि को प्रार्थी अपीलार्थी की माता व भाई ने जरिये प्रतिज्ञा पत्र के दिनांक 01.12.1990 को विक्रेता मनोज बिहानी पुत्र नन्दकिशोर बिहानी निवासी लाडनूं ने रजिस्टर्ड स्वामी श्री गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण बिहानी निवासी निम्बी जोधा से दिनांक 20 मार्च 1990 को क्रय की थी एवं श्रीमती गोदावरीदेवी ने उपरोक्त भूमि रामेश्वरी देवी पत्नि सुखदेव दीपंकर शर्मा निवासी लाडनूं से क्रय की थी जो उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में दिनांक 26.05.1967 को उक्त विक्रय पत्र निष्पादित किया जाकर क्रम संख्या 170/1967 दर्ज किया गया था जिसमें रामेश्वरी देवी ने टंकित करवाया कि उक्त असल पटटा व असल बक्सीसनामा मेरे पास ही है फोटो प्रति आप क्रेता गोदावरी देवी को सौंप दिया है असल पटटा व असल बक्सीसनामा की आवश्यकता होगी तो उक्त आवश्यकता की पूर्ति में विक्रेता एवं मेरे संतान उत्तराधिकारीगण करा देंगे जो असल पटटा व असल बक्सीसनामा की मांग की जायेगी तथा श्री मती रामेश्वरी देवी को उपरोक्त भूमि प्रथम स्वामी गुलाराम पुत्र शिवजीराम ब्राहमण से जरिये रजिस्टर्ड बक्सीस के दिनांक 08.03.1954 को उप पंजीयक कार्यालय डीडवाना में निष्पादित व पंजीबद्ध रजिस्टर्ड बक्सीसनामा से प्राप्त हुई थी जो प्रथम स्वामी गुलाराम उपरोक्त भूमि का एक मात्र स्वामी था जिनके पक्ष में एक ईमारती पटटा सम्वत 2006 का मिति आसोज सूदी 8 का जागीरदार लाडनूं द्वारा प्रदान किया हुआ था। जो उक्त आबादी पटटा के अनुसार ही उपरोक्त भूमि समय समय पर हस्तान्तरित की गयी




ke
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाौर)

है का भाग है राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प-6''42'' राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस किसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरित कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। उपरोक्त पटटाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमियां हैं जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) - यह है कि उपरोक्त प्रार्थी की बंटसूदा व कब्जा आधिपत्यसूदा भूमि के गत स्वामी गोदावरी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी (बिहानी) निम्बी जोधा द्वारा मिशाल संख्या 68/67-68 दिनांक 14.06.1967 के द्वारा उपरोक्त तामिर इजाजत हेतु आवेदन किया था जिस पर तत्कालीन एग्जिक्यूटिव आफिसर नगरपालिका लाडनूं द्वारा दिनांक 26.07.1967 को उपरोक्त पटटासूद भूमि पर तामिर कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त रहवासीय जायगा में जल व विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है तथा प्रार्थी की माता द्वारा कार्यालय नगरपालिका मण्डल लाडनूं में पु. संख्या 30 रसीद संख्या 64 दिनांक 29.12.2015 को गृहकर की राशि भी अदा की हुई है प्रार्थी ने अपने उपरोक्त रहासीय मकान के विद्युत व जल कनेक्शन के बिल विपत्र अनुसार राशि भी अदा कर रहा है तथा नगरपालिका लाडनूं द्वारा परमानेन्ट हाडस नं. भी वार्ड ने. 14 में क्रमांक 5208 के द्वारा दे रखा है। जो उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां सलग्न प्रार्थना पत्र है।

{3}(5) - यह है कि उक्त आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्बर 1639 से संबंधित भूमियों का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाहर)

के अनेकों पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विक्रय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विक्रय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरीक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियों के विरुद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण सम्बन्धी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वेषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

[3](6) – यह है कि जिस भू0अ0नि0की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है जो उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियों एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852 की मध्य सीमा से सीमाज्ञान शुरू करना बताया है जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 1851 व 1852 के मध्य कोई भी पुख्ता सीमाचिन्ह/मुटाम नहीं है जो कि आलौच्य आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 के पास ही स्थित है के चारों ओर सघन आबादी क्षेत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकार्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सीमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित



ke
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना (नामूर)

मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(7) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पत्ति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में ही उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तावेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजों का भी निरीक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय दृष्टान्तों एवं कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

{3}(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032-1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत कठित टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमाज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तावेजों के अनुसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते




ke
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डी.डी.वा. (ना.पैर.)

हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विरोधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी क्रेतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे हैं उनके द्वारा उक्त कयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थी को बिना किसी वजह ही हैरान व परेशान करने की नियम से उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन ओने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र क्रमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चूंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लागों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की




अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

{3}(11) – यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पट्टाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(12) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था

१९
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नाौर)




एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील दिनांक 08.08.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्त की अपील को दिनांक 08.08.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड उनके पत्र क्रमांक 348 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा प्राप्त हुआ।

{5}- अपीलान्त ने दिनांक दिनांक 03.8.21 को प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पेश कर निवेदन किया की मातहत अदालत तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व यह विचार नहीं किया कि विवादित भूमि का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है या नहीं? इस बिन्दू पर प्राथमिक रूप से बहस सुनी जाकर क्षेत्राधिकार के बिन्दू को निर्धारित निर्णय पश्चात ही अपील को अंतिम रूप से गुणावगुण के आधार पर सुनवाई करने का निवेदन किया।

अपीलान्त ने दिनांक 10.8.21 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने का पेश कर निवेदन किया। तथा इसी दिन एक और प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी. पी.सी. भी पेश किया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




अपीलान्ट की उक्त तीनों प्रार्थना प्रार्थना की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का व तीनों प्रार्थना पत्रों का अवलोकन व मनन करने के उपरान्त प्रार्थी के तीनों प्रार्थना पत्र (1) क्षेत्राधिकार (2) अतिरिक्त साक्ष्य साक्षी को परिक्षण करवाने बाबत धारा 151 सी.पी.सी. तथा (3) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते स्थानी निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं को पक्षकार बनाने बाबत सारहीन होने से खारिज किये गये।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि में ही पेश की गयी है। अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 8.8.2019 को प्रस्तुत की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.7.2019 को किया गया। इस न्यायालय में अपील पेश करने की सीमा एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपील समय सीमा में ही प्रस्तुत की है। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद है।


{7}- वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे तर्क दिया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी में पूर्णरूप से आबादी सब चुकी है तथा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से आबादी भूमि के रूप में खरीद की गयी है। निर्माण कार्य हेतु विधिवत रूप से नगरपालिका लाडनूं से अनुमति लेकर ही निर्माण किया गया है इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस तथ्यों को दोहराते हुवे अन्त यह निवेदन किया है कि अपीलीय आधार पूर्ण रूप से अपीलान्ट के पक्ष में होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा मुकदमा संख्या 25/17 बअनुवान




अतिरिक्त जिला कलक्टर
लुडियाना (नागौर)

हल्का पटवारी लाडनूं बनाम ओम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 17.07.2019 को खारिज फरवाने का आदेश प्रदान करावें।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। तहसीलदार लाडनूं द्वारा दिनांक 28.06.2021 की वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 नया ख0नं0 2936/1639 गै0मु0 खण्डा भूमि पर ओम प्रकाश बच्छराज पि0 खीवराज के द्वारा अतिक्रमण भूमि 02 बिस्वा धारा 91 की मौका जांच हेतु ऑन लाईन नक्शा व रिकार्ड का मिलान करने मौके पर मौका का निरीक्षण किया जो मौके पर ओम प्रकाश बच्छराज पुत्रान खीवराज जागिड़ उपस्थित मिले। उन्होंने अपने आवासीय प्लॉट का पुराना ठिकाना लाडनूं के द्वारा बनाया हुआ आबादी पट्टा 4138 वर्गगज भूमि में से कय शुद्धा भूमि बताई गई जिसमें मकानात बने हुए। वह नगर पालिका लाडनूं द्वारा पट्टा भूमि पर निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति सन् 1967 में दी गई की स्वीकृति पत्र दिखलाया गया है। वह पुराना पट्टा रामेश्वरी देवी पत्नी सुखदेव ब्राहमण द्वारा गोदावरी देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी द्वारा बेचान जरिये रजिस्ट्री की प्रति पेश की गई जिसमें आबादी भूमि का विक्रय पत्र उप पंजियन लाडनूं द्वारा किया गया है कय शुद्धा भूमि में ओमप्रकाश पुत्र खीवराज बच्छराज पुत्र खीवराज कौम जागिड़ का 02 बिस्वा भूमि पर पक्के मकानात बनाये हुए है। जिसमें बिजली पानी की सुविधा ली हुई है वह 02 बिस्वा भूमि आबादी भूमियों के मध्य में स्थित है। वर्तमान में खसरा नम्बर 1639 का नया खसरा 2936/1639 गै0मु0 खण्डा रकबा 1.9912 है0 है। जो अन्य 9 नये गै0मु0 आबादी खसरे बन चुके है। जिसमें आबादी आवास बनी हुई है। नया खसरा 2936/1639 अलग से तरमीम है। वह ओमप्रकाश व बच्छराज पुत्रान खीवराज कौम जागिड़ द्वारा समय समय पर नगरपालिका का टेक्स भी दिया हुआ है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार ओमप्रकाश बच्छराज जागिड़ का प्लॉट खसरा 2936/1639 गै0मु0खण्डा भूमि के हिस्से में लगता हैं।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)




तहसीलदार लाडनूं द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ वादग्रस्त खसरा नम्बर की जमाबन्दी भी पेश नहीं की है। अपीलान्त द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त भूमि को पुराना ठिकाना लाडनूं के द्वारा बताया हुआ आबादी पट्टा 4138 वर्गगज भूमि में से कय शुदा बताई है। नगरपालिका लाडनूं द्वारा 1967 में निर्माण स्वीकृति भी जारी की गयी है। यह भूमि आबादी भूमियों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार प्रकरण में अपीलान्त द्वारा पेश दस्तावेजात एवं नवीनतम राजस्व रेकॉर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जांच की जानी आवश्यक है।

:::: आदेश :::


अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.07.2019 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सही सही पुनः परीक्षण, जांच एवं विश्लेषण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डी.डवाना (भागौर)

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डी.डवाना (भागौर)